न्यायालयः सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X(उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०..... 104/2024

कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 340/2024

सरकार बनाम मोहित आदि

अंतर्गत धारा–323,325,308/34,352,504 भा.द.सं.

थाना–मुरादनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–507/2022

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण मोहित, देवेन्द्री, रवि एवं काजल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथम–यह कि दिनांक 13–08–2022 को समय 05.45 बजे सांय स्थान ग्राम बसंतपुर सैंथली अंतर्गत सीमा थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा वादी दीपक कुमार व उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी के साथ लाठी, डंडों एवं ईंटों से स्वेच्छया मार–पीट कर चोटें पहुँचायी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–323 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसकी पत्नी के ऊपर लाठी, डंडों एवं ईंटों से वार कर गंभीर चोटें कारित की जिसमें वादी के सिर में गंभीर चोट आयी तथा उसकी पत्नी के बांए हाथ की हड्डी टूट गयी। आपके द्वारा उक्त कृत्य इस आशय, ज्ञान एवं परिस्थिति में किया गया कि यदि उक्त कृत्य से उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–308 सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसकी पत्नी के साथ लाठी–डण्डों व ईंटों से बुरी तरह मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की जिसमें वादी के सिर में गंभीर चोटें आयीं तथा उसकी पत्नी के बांए हाथ की हडडी टूट गयी। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–325 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसकी पत्नी पर आक्रामक होकर हमला किया। इस प्रकार आपने धारा 352 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित कियाजो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादी के साथ गाली गलोच कर उसे अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 30.09.2024 **(अनिल कुमार–X)**

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)

सत्र न्यायाधीश

दिनांक 30.09.2024 गाजियाबाद।